(26)

रजिस्ट्री सं. डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2007/वैशाख 7, 1929
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2007/VAISAKHA 7, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2007

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सभी पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2) ये विनियम 30 अप्रैल, 2007 के 00.00 घण्टे से प्रवृत्त होंगे।

3. **विनियम 24 का संशोधन.**—यथासंशोधित मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"24. **अननुसूचित विनियम (यू. आई.) प्रभार.**—(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा। फायदाग्राही के लिए यू.आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा। यू.आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा। सभी यू.आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड)		यू. आई. दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
1	2	3
--	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	40.46	12.0
—		
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	[illegible]
49.80	49.78	219.0

1	2	3
49.78	49.76	228.0
..	-	
	-	
49.54	49.52	336.0
49.52	49.50	345.0
49.50	49.48	361.0
49.48	49.46	377.0
-	–	–
..	–	–
49.04	49.02	729.0
49.02	–	745.0

(प्रत्येक 0.02 एचज़ेड स्टेप 50.5 -49.8 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 6.00 पैसे केडब्ल्यूएच, 49.8 -49.5 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 9.00 पैसे केडब्ल्यूएच और 49.5-49.0 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 16.0 पैसे केडब्ल्यूएच के बराबर है)।

टिप्पण :

(1) उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन है।

(2) (i) 15 मिनट के किसी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105 प्रतिशत तक किसी उत्पादन और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता की 101 प्रतिशत तक की औसतता का गेमिंग के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभारों का हकदार होगा ।

(ii) विहित सीमा से परे किसी भी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई गेमिंग नहीं है, यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई भी गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय तत्स्थानी यू. आई. प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी और रकम को फायदाग्राहियों के यू. आई. खाते में उत्पादन केन्द्र में उनकी क्षमता अंश में समायोजित किया जाएगा ।''

8. **विनियम 42 का संशोधन.**–यथासंशोधित मूल विनियम के विनियम 42 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''**42. अननुसूचित विनियम (यू. आई.) प्रभार.**–(1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनिमय (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा। फायदाग्राही के लिए यू.आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा। यू.आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा। सभी यू.आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-समय की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगी और निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड)		यू. आई. दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति केडब्ल्यूएच)
1	2	3
–	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	40.46	12.0
..	–	
	..	
40.84	40.82	204.0
40.82	40.80	210.0
40.80	40.78	219.0

1	2	3
49.78	49.76	228.0
–	–	–
	–	–
49.54	49.52	336.0
49.52	49.50	345.0
49.50	49.48	361.0
49.48	49.46	377.0
–	–	–
–	–	–
49.04	49.02	729.0
49.02	–	745.0

(प्रत्येक 0.02 एचज़ेड स्टेप 50.5-49.8 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 6.00 पैसे केडब्ल्यूएच, 49.8-49.5 एचज़ेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 9.00 पैसे केडब्ल्यूएच और 49.5-49.0 एचज़ेड फ्रक्वेंसी रेंज में 16.0 पैसे केडब्ल्यूएच के बराबर है)

टिप्पण :

(1) उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्यधीन है।

(2) (i) 15 मिनट के किसी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105 प्रतिशत तक किसी उत्पादन और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता की 101 प्रतिशत तक की औसतता का गेमिंग के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभारों का हकदार होगा ।

(ii) विहित सीमा से परे किसी भी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यहां कोई गेमिंग नहीं है, यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई भी गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय तत्स्थानी यू. आई. प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी और रकम को फायदाग्राहियों के यू आई खाते में उत्पादन केन्द्र में उनको क्षमता अंश में समायोजित किया जाएगा ।"

के. एस. ढींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/IV/असा./150/07]

पाद टिप्पण.—मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में तारीख 29-3-2004 को अधिसूचित किए गए थे और समय-समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :

(i) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 9-9-2004 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 ।

(ii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 25-8-2005 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 ।

(iii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 8-6-2006 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 ।

(iv) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4, तारीख 14-3-2007 को अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2007 ।